

संख्या 17011/01/2011-स्थापना(भत्ता)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना (घ) अनुभाग

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: अप्रैल 17, 2013

कार्यालय जापन

विषय: प्रेषण राइडर/स्कूटर चालक/स्टॉफ कार चालक की अनुपस्थिति में कुछ समय के लिए प्रेषण राइडर/स्कूटर चालक/स्टॉफ कार चालक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए एमटीएस/समूह 'घ' अधिकारियों को मानदेय दिया जाना - दरों में संशोधन -

उपर्युक्त विषय पर तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार मानदेय दरों का संशोधन करने के लिए इस विभाग के दिनांक 25 फरवरी, 1988 के कार्यालय जापन संख्या 17016/06/87-स्था.(भत्ता) की ओर संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

1.	एमटीएस/समूह 'घ' अधिकारी जब उन्हें प्रेषण प्रेषण राइडर/स्कूटर चालक/स्टॉफ कार चालक के लिए नियुक्त किया गया हो।	10/-	रुपए प्रतिदिन
2.	एमटीएस/समूह 'घ' अधिकारी/प्रेषण राइडर/स्कूटर चालक को स्टाफ कार चालकों के रूप में नियुक्त किया जाता है।	20/-	रुपए प्रतिदिन

2. मानदेय की राशि एफआर 46(ख) में यथा परिकल्पित उच्चतम सीमा तथा इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

3. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभागों में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श से जारी किए गए हैं।

मरि

(एस. जी. मूलचंदानी)

अवर सचिव

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/लेखा महानियंत्रक को कार्यालय।
3. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)/भारत के उच्चतम न्यायालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/योजना आयोग के सचिव।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय।
5. सभी राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
6. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद्/विभागीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
7. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
8. एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए।